हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्र. 16/2015 द्वारा स्थापित)
रायपुर नाका, दुर्ग (छ.ग.) – 491001
Website: www.durguniversity.ac.in, Phone - 0788-2359400

क्र./ 982 /अधिष्ठता/शोध/2021 दुर्ग, दिनांक 19/02/2021

सूचना

पी–एच.डी. परीक्षा 2021 में पात्र अभ्यर्थी के प्रवेश के संबंध में दिशा–निर्देश

पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा सत्र् 2021 में पात्र अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक–45 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार शोध केन्द्र (Research Center) में प्रवेश के संबंध में दिशा–निर्देश निम्नानुसार है –

1. पी–एच.डी. प्रवेश हेतु पात्र समस्त अभ्यर्थी विश्वविद्यालय अध्यादेश कमांक–45 का अध्ययन अनिवार्य रूप से करें।
2. **पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा 2021 के घोषित परिणाम अनुसार पात्र अभ्यर्थी दिनांक 24/02/2021 से विश्वविद्यालय के पी–एच.डी. सेल में अपना प्रवेश पत्र (Admit Card) प्रस्तुत कर ही Ph.D Elegibility Certificate प्राप्त कर सकेगें ।**
3. अभ्यर्थी संबंधित विषय में शोध निर्देशक (Supervisor) के रिक्त सीटों एवं शोध केन्द्रो (Research Center) की जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते है ।
4. **परीक्षा में पात्र अभ्यर्थियों हेतु विभागीय शोध समिति (DRC) की बैठक एवं समस्त प्रकियाये दिनांक 25/02/2021 से 11/03/2021 के मध्य शोध केन्द्रों द्वारा अनिवार्यतः पूर्ण करायी जानी है ।**
5. अभ्यर्थियों को उपर्युक्त निर्धारित तिथि अनुसार संबंधित विषय हेतु मान्य शोध केन्द्रों से सम्पर्क कर विभागयी शोध समिति (DRC) बैठक की तिथि की जानकारी प्राप्त कर उक्त तिथि अनुसार DRC में सम्मिलित होना सुनिश्चित करे ।
6. अभ्यर्थियों को DRC में उपस्थित होने हेतु निम्न दस्तावेजों/अंकसूचियों की 2 सेट छायाप्रति (Photocopy) सहित मूलप्रति को Verification के लिये शोध केन्द्रों में ले जाना अनिवार्य होगा ।
    1. पी–एच.डी. ऑनलाईन आवेदन फार्म की छायाप्रति ।
    2. पी–एच.डी. प्रवेश फार्म/पंजीयन फार्म ।
    3. 10^{th} एवं 12^{th} की अंकसूची ।
    4. स्नातक एवं स्नातकोत्तर की प्रत्येक वर्ष की अंकसूची
    5. पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा प्रमाण पत्र/प्रवेश परीक्षा से छूट प्रमाण पत्र (नेट/सेट/अन्य विश्वविद्यालय द्वारा जारी परीक्षा परिणाम सूची अनुसार)।
    6. जाति प्रमाण पत्र (आवश्यकता अनुसार) ।
    7. गेप सर्टिफिकेट (आवश्यकता अनुसार) ।
    8. आधार कार्ड ।
7. अभ्यर्थियों को अनुमति प्रमाण पत्र (NOC) - (अशासकीय संस्था में कार्यरत हो/ शासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थी को नियमानुसार उच्च शिक्षा विभाग/अन्य संबंधित शासकीय विभाग द्वारा प्रस्तुत अनुमति प्रमाण पत्र जमा करेंगे) ।
8. विभागीय शोध उपाधि समिति (DRC) की बैठक में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत अधूरे/अपूर्ण दस्तावेजों/अंकसूचियों पर विचार नही किया जावेगा ।
9. पी–एच.डी. शोध कार्य हेतु अभ्यर्थी के ऐसे शोध निर्देशक (Supervisor) जो शोध केन्द्र में पदस्थ नही है उस स्थिति में नियमानुसार अभ्यर्थी को शोध केन्द्र से एक सह–निर्देशक (Co-Supervisor) लेना अनिवार्य होगा ।

10. अभ्यर्थियों को विभागीय शोध उपाधि समिति की अनुशंसा पश्चात् चयनित शोध केन्द्र मे दिनांक 22/03/2021 तक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा । अंतिम तिथि के बाद शोध केन्द्रों में प्रवेश नही दिया जावेगा।
11. DRC की अनुशंसा पश्चात अभ्यर्थी को शोध केन्द्र में प्रवेश प्राप्त करने हेतु पात्रता प्रमाण पत्र (Eligibility Certificate) छत्तीसगढ़ के राजकीय विश्वविद्यालय को छोड़ कर अन्य (छत्तीसगढ़ के निजी/राज्य के बाहर स्थित विश्वविद्यालय से अध्ययन कर आये) को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. विभागीय शोध समिति (DRC) की अनुशंसा पश्चात् जिस अभ्यर्थी को पी–एच.डी. रजिस्ट्रेशन फार्म में शोध निर्देशक की हस्ताक्षरित सहमति प्राप्त होती है वे अभ्यर्थी चयनित शोध केन्द्र में कंडिका 06 में उल्लेखित समस्त दस्तावेजों की 2 सेट छायाप्रति को जमा कर ही प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे ।
13. अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्येक छःमाही शोध शिक्षण शुल्क (प्रयोगशाला वाले विषयों के लिये 7500/–और बिना प्रयोगशाला विषयों के लिये 5000/–) का 50 प्रतिशत राशि शोध केन्द्र में तथा 50 प्रतिशत राशि विश्वविद्यालय में जमा करना होगा ।
14. अभ्यर्थियो को पी–एच.डी. छःमाही शिक्षण शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कैश काउंटर/विश्वविद्यालय के यूको बैक के खाता कं. 18290110059791 में निर्धारित संलग्न चालान के माध्यम से जमा कर विश्वविद्यालय चालान कॉपी को एवं शोध केन्द्रों में जमा किये गये शुल्क रसीद को संलग्न प्रारूप सहित पी–एच.डी. सेल में जमा करना होगा।
15. परीक्षा में पात्र अभ्यर्थियों को शोध केन्द्रों में प्रवेश प्राप्त होने के पश्चात् विश्वविद्यालय से 10 दिवस के अंदर पी–एच.डी. हेतु नामांकन कराना अनिवार्य होगा (यदि अन्य विश्वविद्यालय से अध्ययन कर आये हो)।
16. कोरोना संकट को देखते हुये समस्त शोध केन्द्र कोरोना से रोकथाम हेतु जारी शासन के नियमों एवं निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना सुनिश्चित करें ।

उपरोक्त अनुसार यह भी कि पी–एच.डी. सत्र 2021 में विभागीय शोध समिति की अनुशंसा पश्चात् शोध केन्द्रों में प्रवेशित समस्त अभ्यर्थी विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 45 और समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों हेतु जारी आदेशो/नियमों/निर्देशों /सूचनाओं का पालन अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करेगे । अभ्यर्थी द्वारा नियमों के उलंघन की स्थिति में कार्यवाही की जावेगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे ।

कुलसचिव
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

पृ. क. 983/अधिष्ठाता/शोध/2021

दुर्ग, दिनांक 19/02/2021

प्रतिलिपि :–

01. प्राचार्य, समस्त शोध केन्दों को सूचनार्थ की पत्रानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।
02. प्रचार्य समस्त संबंध महाविद्यालयो को सूचनार्थ की उक्त पत्र से अभ्यर्थियों को अवगत करावे एवं महाविद्यालय के नोटिस बोड में लगाना सुनिश्चित करें ।
03. कुलपति के निज सहायक/कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ
04. वि.वि. वेबसाईट प्रभारी, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) की वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने सूचनार्थ ।

19/2/21

अधिष्ठाता छात्र कल्याण
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)